GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)
MINISTRY OF RAILWAYS (RAIL MANTRALAYA)
(RAILWAY BOARD)

RBE.NO.28/87.

NO.E(NG)I-85-PMI-13(RRC) New Delhi, dated 19.2.1987.

The General Managers,
All Indian Railways & Others,
(As per Standard List Attached)

Subject: Recommendations of Railway Reforms Committee in Part IX of their report on "Personnel" matters - instructions regarding.

oooo

The Railway Reforms Committee in Part IX of their report have made the following recommendations:

Recommendation No.	Gist of the Recommendation
139	A minimum experience criteria be laid down for each promotion which should equally be applicable to all employees irrespective of whether they are on reserved list or not.
141	Zone of consideration for promotion should be same for all employees viz. the immediate grade below.

2. The Ministry of Railway have accepted the above recommendations and decided as follows:-

i) The minimum period of service for eligibility for promotion within Group'C' shall be two years in the immediate lower grade irrespective of whether the employees belong to reserved community or not.

ii) Service for this purpose shall be the service actually rendered on regular basis. Service rendered on adhoc basis shall, however, be taken into account for this purpose if it is followed by regularisation without break.

iii) The condition regarding minimum service has to be fulfilled at the time of actual promotion in the same manner as in the case of "Safety Categories"

....2/-

भारत सरकार
रेल मंत्रालय(रेलवे बोर्ड)

RBE.NO.28/87.

सं0 ई(एन जी)I-85-पीएम I-13(आर आर सी) नयी दिल्ली, दिनांक 19-2-87

महाप्रबन्धक,
सभी भारतीय रेलें और अन्य ।
(संलग्न मानक सूची के अनुसार)

विषय:- कार्मिक मामलों पर उनकी रिपोर्ट के भाग IX में रेलवे सुधार समिति की सिफारिशें-संबंधित अनुदेश ।

......

रेलवे सुधार समिति ने अपनी रिपोर्ट के भाग IX में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं:-

सिफारिश सं0	सिफारिश का सार
139	प्रत्येक पदोन्नति के लिए न्यूनतम अनुभव मापदंड निर्धारित किया जाये जो इस बात का लिहाज किये बिना कि वे आरक्षित सूची में हैं अथवा नहीं, समान रूप से सभी कर्मचारियों पर लागू होना चाहिए ।
141	पदोन्नति के लिए विचारार्थ क्षेत्र सभी कर्मचारियों के लिए समान होना चाहिए अर्थात निकटतम निचला ग्रेड ।

2. रेल मंत्रालय ने उपर्युक्त सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और विनिश्चय किया है कि:-

(I) वर्ग 'सी' के अन्तर्गत पदोन्नति के लिए योग्यता निकटतम निचले ग्रेड में न्यूनतम सेवा की अवधि 2 वर्ष होनी चाहिए, इस बात का ध्यान किये बिना कि आरक्षित कर्मचारी आरक्षित जाति से संबंधित है अथवा नहीं ।

(II) इस प्रयोजन के लिए सेवा, वह सेवा होनी चाहिए जो नियमित आधार पर की गयी हो । इस प्रयोजन के लिए तदर्थ आधार पर की गयी सेवा उसी स्थिति में गिनती में ली जायेगी यदि वह बिना अन्तराल के नियमित कर दी गयी हो ।

(III) इस मंत्रालय के 26-5-1984 के पत्र सं0 ई(एन जी)I-75-पीएम I/44 में दिये गये अनुसार 'संरक्षा कोटियों' के मामले की तरह न्यूनतम सेवाकाल की शर्त वास्तविक पदोन्नति के समय पूरी की जानी चाहिए ।

as laid down in this Ministry's letter No.E(NG)I-75-PMI/44 dated 26.5.1984.

iv) Wherever longer length of service in the lower grade has been stipulated as a condition of eligibility for promotion in any particular category, the same will continue to hold good.

3. Please acknowledge receipt.

(K.B. LALL)
Joint Director, Estt.(N)
Railway Board.

NO.E(NG)I-85-PM1-13(RRC). New Delhi, dated 19.2.1987.

Copy to: 1) CPLOs, All Zonal Railways.
2) CMEs, All Zonal Railways.

(K.B. LALL)
Joint Director, Estt.(N)
Railway Board.

NO.E(NG)I-85-PM1-13(RRC). New Delhi, dated 19.2.1987.

Copy to:

*with 25 spares

1.* The General Secretary, NFIR, 3, Chelmsford Road, New Delhi-55.
2.* The General Secretary, AIRF, 4, State Entry Road, N.Delhi-55.
3. The Members of National Council/Departmental Council and the Secretary, Staff Side, National Council, 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi.

for Secretary, Railway Board.

Copy to:

PSs to MS and Adviser(IR).
SPAs to EDE, AEDPC, DE(P&A), AEDE(R), DE(N), DE(C), DE(T&MPP).
JDE(N), JDE(R)I, JDE(R)II, DDE(D&A), DDE(R)I, II, DDE(SCT),
DD(Code Revision), DDE(G)II & DDE(N),
E(NG)II, E(REP)I, II & III Branches, Railway Board.
E(G) Branch with one spare.
ER-II with 5 spares.

...

(iv) जहां किसी विशेष श्रेणी में पदोन्नति के लिए योग्यता की शर्त निम्न ग्रेड में सेवा काल की अवधि रखी गयी हो, वहां उसे लागू रखना जारी रहेगा ।

3. कृपया पत्र की पावती दें ।

(के० वी० लाल)
संयुक्त निदेशक, स्थापना (अराज०)
रेलवे बोर्ड ।

नयी दिल्ली, दिनांक 19.2.87.

सं० ई (एन जी) I-85-पी एम I-13 (आर आर सी)

प्रतिलिपि :-

1. मु० का० अ०, सभी भारतीय रेलें ।
2. मु० यां० इंजी०, सभी भारतीय रेलें ।

(के० वी० लाल)
संयुक्त निदेशक, स्थापना (अराज०)
रेलवे बोर्ड ।
19.2.87.

प्रतिलिपि :-

प्रत्येक को 5 प्रतियों सहित

*1. महासचिव, एन एफ आई आर, 3-चेम्सफोर्ड रोड, नयी दिल्ली-55.
*2. महासचिव, ए आई आर एफ, 4-स्टेट एन्ट्री रोड, नयी दिल्ली-55.
3. राष्ट्रीय परिषद/विभागीय परिषद के सभी सदस्य तथा सचिव कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नयी दिल्ली ।

कृते सचिव, रेलवे बोर्ड ।